

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2509]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2015/अग्रहायण 5, 1937

No. 2509]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2015/AGRAHAYANA 5, 1937

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2015

**का.आ. 3183(अ).**— धन शोधन रोधी (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियमावली, 2005 (इसके पश्चात् जिसका उल्लेख उक्त नियमावली के रूप में किया गया है) के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (क क) और नियम 9 क के साथ पठित धन शोधन रोधी अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 20 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित भारतीय केन्द्रीय आस्ति प्रतिभूतिकरण पुनर्गठन और प्रतिभूति हित रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) को उक्त नियमावली के अंतर्गत धन शोधन रोधी अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ज क) में यथा परिभाषित “ग्राहक” के केवाईसी अभिलेखों को डिजिटल फॉर्म में प्राप्त करने, संग्रहीत करने, सुरक्षित रखने तथा पुनः प्राप्त करने का कार्य करने के साथ-साथ केन्द्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 07/03/2012-बीओ.]]

डॉ. शशांक सक्सेना, आर्थिक सलाहकार

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Financial Services)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th November, 2015

**S.O. 3183(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (j) of Sub-section (2) of Section 73 of the Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (15 of 2003), read with clause (aa) of sub-rule (1) of rule 2 and rule 9A of the Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 (hereafter referred to as the said rules), the Central Government hereby authorises the Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI), set up under sub-section (1) of Section 20 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), to act as, and to perform the functions of, the Central KYC Records Registry under the said rules, including receiving, storing, safeguarding and retrieving the KYC records in digital form of a “client”, as defined in clause (ha) of sub-section (1) of Section 2 of the Prevention of Money-Laundering Act, 2002.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No.07/03/2012-BO.II]

DR. SHASHANK SAKSENA, Economic Adviser